रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022025-261358
CG-DL-E-28022025-261358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2025/फाल्गुन 9, 1946
No. 122]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2025/PHALGUNA 9, 1946

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 156(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980में, अनुसूची III में, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों से संबंधित खंड (IV) में, पैराग्राफ (ए) पासपोर्ट में, उप-पैरा 1 के लिये खंड (बी) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होंगे, नामत:-

"(बी) जन्म तिथि का प्रमाण

(I) 1अक्टूबर, 2023से पहले जन्मे व्यक्तियों के संबंध में (निम्नलिखित में से कोई एक संलग्न करें) –

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969का 18) के तहत सशक्त है ; या

(ii) स्थानांतरण या स्कूल छोड़ने या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र जो कि मान्यता प्राप्त स्कूल, जहाँ से आवेदक द्वारा अंतिम शिक्षा ग्रहण कि गयी थी या मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो ; या

(iii) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो; या

(iv) आवेदक के सेवा रिकॉर्ड (केवल सरकारी सेवकों के संबंध में) या वेतन पेंशन आदेश (सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में) के उद्धरण की प्रति, जो आवेदक के संबंधित मंत्रालय या विभाग,प्रशासन के प्रभारी अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित या प्रमाणित हो, जिसमें उसकी जन्मतिथि हो; या

(v) संबंधित राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि हो; या

(vi) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि हो; या

(vii) भारतीय जीवन बीमा निगमों या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी पॉलिसी बांड जिसमें बीमा पॉलिसी धारक की जन्म तिथि हो ।

(II) 1 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के संबंध में (निम्नलिखित संलग्न करे) –

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के तहत सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ।"

[फा. सं. VI/401/2/5/2001]

डॉ. के.जे.श्रीनिवासा, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

नोट- पासपोर्ट नियम, 1980 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 691(ई) दिनांक 11 दिसंबर, 1980 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 675(ई), दिनांक 15 सितंबर 2023 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2025

G.S.R. 156(E).— In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:-

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in schedule III, in section (IV) relating to documents to be attached with the application, in paragraph (A) Passports, in sub-paragraph 1 for clause (b), the following shall be substituted, namely:-

"**(b) Proof of Date of Birth:**

(I) **In respect of persons born before the 1st October, 2023** (attach one of the following) ─

(i) Birth certificate issued by the Registrar of Births and Deaths or the Municipal Corporation or any other authority, empowered under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969); or

(ii) Transfer or school leaving or matriculation certificate issued by the recognised school last attended or recognised educational board having the date of birth of the applicant; or

(iii) Permanent Account Number Card issued by the Income-tax Department having the date of birth of the applicant; or

(iv) Copy of an extract of the service record of the applicant (only in respect of Government servants) or the Pay Pension Order (in respect of retired Government servants), duly attested or certified by the officer-in-charge of the administration of the concerned Ministry or Department of the applicant, having his date of birth; or

(v) Driving licence issued by the Transport Department of the concerned State Government, having the date of birth of the applicant; or

(vi) Election Photo Identity Card issued by the Election Commission of India containing the date of birth of the applicant; or

(vii) Policy bond issued by the Life Insurance Corporations of India or Public Companies having the date of birth of the holder of the insurance policy.

(II) In respect of persons born on or after 1st October, 2023 (attach the following) ─

Birth certificate issued by the Registrar of Births and Deaths or the Municipal Corporation or any other authority, empowered under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969)."

[F. No. VI/401/2/5/2001]

Dr. K.J. SRINIVASA, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

Note- The Passports Rules, 1980 were published vide notification number G.S.R. 691(E) dated the 11th December, 1980, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) and lastly amended vide notification number G.S.R. 675(E), dated 15th September 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.28 16:50:58 +05'30'